क्रम सं0 तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

रूकमणी देवी, पति-स्व0 मथुरा राम, पिता-स्व0 लालजी रविदास, ग्राम-लुन्दरू, थाना-ईचाक, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-कोर्रा, थाना नं0-156, खाता संख्या-65, प्लॉट संख्या-46, रकवा-2.50 डी0 भूमि दिव्या भारती, पति-रंजीत राम, पिता-नारायण राम, ग्राम-कराली, थाना-केरेडारी, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 149/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता दिव्या भारती एवं विक्रेता रूकमणी देवी अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदिका को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदिका के पास रकवा लगभग 0.4250 एकड़ भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं भुनवा वो दुरूवा भुईयां वगै0 के नाम दर्ज है। भूमि आवेदिका को केवाला से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 120/III पर मथुरा राम के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता रूकमनी देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2021/236225 दिनांक-06.09.2021 एवं अंचल अधिकारी, ईचाक, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2021/48565 दिनांक-31.05.2021 और क्रेता दिव्या भारती का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2016/831882 दिनांक-28.12.2016 एवं अंचल अधिकारी, केरेडारी, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2016/009423 दिनांक-20.12.2016 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम,

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
1	2	3
	1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर, ग्राम–कोर्रा, थाना नं0–156, खाता संख्या–65, प्लॉट संख्या–46, रकवा–2.50 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 19/4/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 19/4/22	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.04.21 16:57:17 +05:30
Location: 192.168.0.100